राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन से पूर्व जनाधार/डीजी-लॉकर पर दस्तावेजों का अद्यतनीकरण करवाये जाने हेतु जारी किये जाने वाले प्रेस नोट को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये जाने के सम्बंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सूचीबद्ध होने के लिए इच्छुक पात्र एवं योग्य पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं के ऑनलाईन आवेदन प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 15.12.2024 निर्धारित है, इसके उपरान्त कोचिंग संस्थाओं को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों से योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेज जनाधार/डीजी-लॉकर में अद्यतन करवाये जाने के सम्बंध में जारी किये जाने वाले प्रेस नोट को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(रामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

सहायक निदेशक (प्रचार)
मुख्यावास।

यू.ओ. नोट क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनुप्रति कोचिंग/नियम/सान्याअवि/21/पार्ट-1/
जयपुर, दिनांक :

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Gurjar
Designation : Additional Director
Date: 2024.12.04 11:41:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12201305